

कार्यालय जिला शिक्षा सेवा प्राधिकरण, बाराबंकी

(संशोधित कार्यालय विज्ञापित)

जिला शिक्षा सेवा प्राधिकरण बाराबंकी में संचिकर्ताओं की आबतला के संबंध में जिला शिक्षा सेवा प्राधिकरण बाराबंकी से पूर्व में निर्गत कार्यालय विज्ञापित दिनांक 02.03.2019 में आबतन शासनार्देश के आलाक में आधिक संशोधन करते हुए संचिकर्ताओं की आबतला के संबंध में पुनः संशोधित विज्ञापित प्रकाशित की जा रही है। इच्छुक एवं पत्र अस्थायी निम्नलिखित शर्तों को पूर्ण कर आवदन कर सकते हैं:-

1. आवेदक भारत का नागरिक हो।
2. आवेदक समाजशास्त्र या मनोविज्ञान में से किसी एक विषय में से स्नातक की डिग्री रखता हो और सामाजिक कार्य में अनुभव हो। जो आवेदक सामाजिक कार्य में मास्टर डिग्री धारक हो और पारिवारिक कालेज में दो वर्ष का अनुभव रखता हो उसे वरीयता दी जायेगी।
3. उपरोक्त अर्हता पूर्ण होने की स्थिति में प्रतिलिखित समाज सेवी व्यवहारा, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, अधिकारियों अध्यापकों को वरीयता दी जायेगी।
4. आवेदक की आय आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के दिनांक को 35 वर्ष से 65 वर्ष के मध्य हो।
5. संचिकर्ता का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा।
6. संचिकर्ता के पद पर नियुक्ति शासकीय सेवा में नियुक्त नहीं मानी जायेगी और वे जिला शिक्षा सेवा प्राधिकरण बाराबंकी से सविदा के आधार पर सम्बद्ध रहेंगे।
7. नियुक्त संचिकर्ता को शासनार्देश के अनुसार प्रति बैठक नियत रू० 750/- मानदेय देय होगा।
8. आवेदन के साथ हाईस्कूल तथा स्नातक का अंक-पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है।
9. जिन आवेदनकर्ताओं द्वारा पूर्व में उक्त पर नियुक्ति के संबंध में आवेदन किया जा चुका है, वे वर्तमान विज्ञापित की शर्तों के अनुरूप अपने आवेदन का परीक्षण कर यदि उसमें कोई कमी पायी जाती है तो उसके निश्चित समयावधि में पूर्ण कर सकते हैं।
10. आवेदकों का चयन साक्षात्कार द्वारा किया जाएगा। साक्षात्कार की नियति लिख की सूचना जारी नोबल नंबर दी जायेगी।

जो व्यक्ति इस पद पर नियुक्ति होने के इच्छुक हो, वे अपना आवेदन-पत्र शैक्षिक एवं अनुभव प्रमाण-पत्रों की छाया प्रति सहित दिनांक 18.06.2019 तक अधोदस्ताक्षरी के कार्यालय में साथ 5.00 बजे तक पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं।

दिनांक 12.06.2019

(विष्णु प्रताप सिंह)
प्रभाषी सचिव
जिला शिक्षा सेवा प्राधिकरण,
बाराबंकी।

12-6-19

- प्रतिलिखित निम्नलिखित को संयोजक एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. प्रभाषी अधिकारी, नजारेत अनुभाग, जनपद न्यायालय बाराबंकी को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त आवेदन की प्रति नजारेत अनुभाग तथा प्रशासनिक कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं जिला बार एसोसिएशन बाराबंकी के नोटिस बोर्ड पर चपका कराया जाना सुनिश्चित करें।
 2. जिला सूचना अधिकारी बाराबंकी को स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
 3. नोबल अधिकारी, केन्द्रीय कम्प्यूटर अनुभाग, जनपद न्यायालय बाराबंकी को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त आवेदन की प्रतिलिखित को जनपद न्यायालय बाराबंकी व माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

दिनांक 12.06.2019

(विष्णु प्रताप सिंह)
प्रभाषी सचिव
जिला शिक्षा सेवा प्राधिकरण,
बाराबंकी।

12.06.19
04.25.2019